मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ-भवन, भोपाल- 462004

::आदेश::

क्रमांक एफ **44-5/2022 /20-2** भोपाल, दिनांक 26/05/2022

-00-

प्रदेश में महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, से संबद्धता प्राप्त प्राच्य गुरूकुल (अशासकीय छात्रावास युक्त) संचालित हैं। इन अशासकीय आवासीय विघालयों को संलग्न परिशिष्ट अनुसार राज्य शासन एतद्‌ द्‌वारा आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने कि स्वीकृति प्रदान करता है।

26/05/2022

(प्रमोद सिंह)
उप सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग

4. यह आर्थिक सहायता स्कूल शिक्षा विभाग की योजना क्रमांक 5545 **(महर्षि पतजंलि संस्कृत संस्थान)** को अनुदान अन्तर्गत भारित होगा।

26/05/2022

(प्रमोद सिंह)
उप सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग

आर्थिक सहायता हेतु नियम एवं निर्देश

प्रदेश में महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, से संबद्धता प्राप्त प्राच्य गुरूकुल (अशासकीय छात्रावास युक्त) संचालित है। इन अशासकीय आवासीय विघालयों को निम्नानुसार आर्थिक सहायता प्रदान किया जायेगा।

1. आर्थिक सहायता प्रस्ताव:-

1.1 हितग्राही- **अशासकीय आवासीय संस्कृत प्राच्य विद्यालय** जो कि परपंरागत गुरूकुल के नाम से वर्तमान में संचालित है, में अध्ययनरत् विद्यार्थी। वर्तमान में ऐसे 90 अशासकीय प्राच्य गुरूकुल संचालित है।

1.2 आर्थिक सहायता विद्यार्थियों के भोजन, गणवेश, दैनिक आवश्यकता से संबंधित सामग्रियों, पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्य सामग्री के लिए देय होगी।

1.3 आर्थिक सहायता प्रति विद्यार्थी के मान से कक्षा 1-5 हेतु रूपये 8,000/- एवं कक्षा 6-12 हेतु रूपये 10,000/- वार्षिक देय होगी। विद्यार्थियों पर होने वाले शेष व्यय इन अशासकीय आवासीय विद्यालयों द्वारा स्वयं व्यय किया जायेगा।

1.4 कक्षा 1-5 हेतु रूपये 8,000/- मे से 7400/- अशासकीय आवासीय विद्यालय को एवं 600/- विद्यार्थी/अभिभावक के खाते में देय होगी। इसी प्रकार कक्षा 6-12 हेतु रूपये 10,000/- मे से

8800/- अशासकीय आवासीय विद्यालय को एवं 1200/- विद्यार्थी/अभिभावक के खाते में देय होगी।

2. अशासकीय आवासीय संस्कृत विद्यालयः-

4.1 महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान से प्राच्य विद्यालय के रूप में संबद्धता प्राप्त हो।

3. आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की प्रक्रियाः-

3.1 प्रतिवर्ष महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान द्वारा कराये गये निरीक्षण प्रतिवेदन में नियमित प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप देय होगी।

3.2 विद्यार्थियों की संख्या की गणना में कक्षा 1-4, प्रवेशिका (कक्षा 5), प्रथमा (कक्षा 6,7 एवं 8), पूर्व मध्यमा (कक्षा 9 एवं 10) एवं उत्तर मध्यमा (कक्षा 11 एवं 12) के प्रवेशित विद्यार्थियों को शामिल किया जायेगा।

3.3 सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान द्वारा परीक्षण उपरांत आर्थिक सहायता की राशि रूपये 8,000/- (कक्षा 1-5 के प्रति विद्यार्थी) एवं रूपये 10,000/- (कक्षा 6-12 के प्रति विद्यार्थी) का वितरण खाते में पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी।

3.4 यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, तो उसे उसी कक्षा में दोबारा पढ़ने हेतु आर्थिक सहायता की पात्रता नहीं होगी।